न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 158/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. अजीतसिह पुत्र मेहरचन्द कौम जाट साकिन गदरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज : वादी
वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : **प्रतिवादी**
निर्णय **दिनांक : 20.8.18**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भनाई के खसरा सं. 256/1 की कुल 3.0740 हैक्टर भूमि वर्तमान में अजीतसिह पुत्र मेहरचन्द कौम जाट साकिन गदरा के नाम खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि को बिना कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवायें ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लिय गया है। वर्तमान में उक्त ईन्ट भट्टा बन्द है। रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है।

खसरा सं. 256/1 की कुल 3.0740 हैक्टर खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषक कार्यो के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लघंन किया है।

कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निमार्ण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नही। प्रतिवादी द्वारा खसरा नं. 256/1 की भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है।

विवादित कृषि भूमि को खातेदारों द्वारा बिना स्वीकृतिके 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नही आता है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही कर उक्त भूमि सिवाय चक भूमि घोषित की जावे ताकि कोई अन्य खातेदार भी इस प्रकार की कृत्य न कर सके व कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने पर रोक लग सके।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन

आवश्यकता नही है। जबकि दावा प्रोपर प्रफोर्मा नही होने के कारण काबिले खारिज है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि रोही ग्राम भनाई के खसरा सं. 256/1 की कुल 3.6740 हैक्टर भूमि अवैध रूप से ईंट भट्टों का निर्माण कर कृषि भूमि का स्वरूप बदल दिया गया है। यदि हां तो क्या वादी वादभूमि को सिवाय चक घोषित कराया जाकर बेदखल कराने का अधिकारी है ?

— वादी

2. आया कि वादभूमि में आज भी कृषि कार्य हो रहा है। क्या वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है ?

— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी पुत्र आर एस चौधरी जाति जाट साकिन हाल तहसीलदार भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में रिपोर्ट पटवारी दिनांक 13.06.16 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी रोही मोजा भनाई खाता सं. 2/373 प्रदर्श 2, नक्शा वादभूमि प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी में अजीतसिंह के सशपथ बयान करवाये गये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अपनी बहस में पेरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से खातेदार काश्तकार अजीतसिंह के विरूद्ध वाद कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में 2 तनकीयात कायम की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवास, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार काश्तकार ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

तनकी संख्या 01 —वादी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं साक्ष्य से यह साबित होता है कि प्रतिवादी ने वादभूमि का वर्तमान में ईंट भट्टा का निर्माण कार्य कर तथा कुल भूमि के 1/50 हिस्सा से अधिक पर आद्योगिक प्रयोनार्थ कार्य बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। जो

जिरह में इस बात को स्वीकार वादभूमि में ईट भट्टा था तथा मैने उक्त कृषि भूमि जो गैर कृषि कार्य के काम में लेने के लिए भूमि रूपान्तरण नही कराया है। अपनी तनकी के कृषि भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया जो कि जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। प्रतिवादी तनकी साबित करने में असफल रहा है। उक्त तनकी सं0 1 को वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

वादी ने प्रतिवादी अजीतसिह विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी वादभूमि में अकृषि कार्य बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश, लाईसेंस, परमिट के कर रहा है जो नियम विरूद्ध है, तथा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार है सक्षम न्यायालय है।

अत : तनकी सं0 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई थी जो कि वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि खातेदार काश्तकार प्रतिवादी अजीतसिंह ने कुल कृषि भूमि 3.0740 है0 का ईंट भट्टा लगाकर अकृषि कार्यो में उपयोग बिना किसी विधि सम्मत आदेश, संपरिवर्तन आदेश,लाईसेंस, परमिट के किया है। अतः अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चुंकि प्रतिवादी बाद सम्मन तामील उपस्थित आकर अपना जवाब दावा एवं साक्ष्य पेश किया तथा अपने साक्ष्य जिरह में इस बात का स्वीकार करता है कि'' वादभूमि में ईट भट्टा था तथा मैने उक्त कृषि भूमि जो गैर कृषि कार्यके काम में लेने के लिए भूमि रूपान्तरण नही कराया है।

अतः वाद वादी साबित होने पर डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम भनाई के खसरा सं. 256/1 की कुल 3.0740 हैक्टर है0 कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

रण सं0 : 158/2016

नवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. अजीतसिह पुत्र मेहरचन्द कौम जाट साकिन गदरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी पैराकार राज वकील प्रतिवादी श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम भनाई के खसरा सं. 256/1 की कुल 3.0740 हैक्टर है0 कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.8.18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़